

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29.12.2018

क्रमांक 3365/1055/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 31/10/2018 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 06/11/2018 निर्धारित की गई थी, उक्त तिथियों के अन्तर्गत प्रस्तुत "ऑनलाईन" आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ प्राप्त किये गये।

4. विधि पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया का ही होगा। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

क्रमांक	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर	निरंक
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	श्री श्री 108 विजयरामदास शिक्षा एवं पर्यावरण समिति	निरंक
3	विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय का नाम	श्रीराम कॉलेज मुरैना	निरंक
4	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.वोक प्रथम वर्ष (टूरिज्म एण्ड मैनेजमेंट) बी.एससी प्रथम वर्ष (कम्प्यूटर, गणित, भौतिकी) एम.ए. पूर्वाद्ध इतिहास	निरंक
5	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक

6	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	निरंक	निरंक
7	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	बी.वोक प्रथम वर्ष (टूरिज्म एण्ड मैनेजमेंट) बी.एससी प्रथम वर्ष (कम्प्यूटर, गणित, भौतिकी) एम.ए. पूर्वार्द्ध इतिहास	निर्धारित समय सीमा तक कमी पूर्ति नहीं पूर्ण करने के कारण आवेदन अमान्य किया गया ।

8. शासन द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/01/2019 तथा दिलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की गई है, अतः सम्बद्धता हेतु समयसीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय।


9. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

10. अपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

11. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के सम्मक्ष ऑनलाईन रिव्यु प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/01/2019 से 15/01/2019 निर्धारित है, इस अवधि में एम. पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर रिव्यु राशि 35,000/- (रुपये पैंतीस हजार)केवल (वापसी योग्य नहीं) सहित ऑनलाईन रिव्यु दर्ज किया जा सकता है।

12. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"



(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29.12.2018

पृ. क्रमांक 3366/1055/आउशि/सम्बद्धता/18.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म0प्र0)।
- 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
- 5- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भुरैना (अग्रणी) (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वेबसाइट" पर अपलोड कराने हेतु।

—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29.12.2018

क्रमांक 3363/1215/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 31/10/2018 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 06/11/2018 निर्धारित की गई थी, उक्त तिथियों के अन्तर्गत प्रस्तुत "ऑनलाईन" आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ प्राप्त किये गये।

4. विधि पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया का ही होगा। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

क्रमांक	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर	निरंक
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	समर्पण स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा	निरंक
3	नवीन अशासकीय महाविद्यालय का नाम	जलज इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ग्राम खतौरा	निरंक
4	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.ए प्रथम वर्ष (अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास) अति.विषय:- राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र	निरंक
5	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक
6	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक

7	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	बी.ए प्रथम वर्ष (अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास) अति.विषय:- राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र	पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं
---	---	--	------------------------------

8. शासन द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/01/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की गई है, अतः सम्बद्धता हेतु समयसीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय।

9. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

10. अपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

11. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के समक्ष ऑनलाईन रिज्यु प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/01/2019 से 15/01/2019 निर्धारित है, इस अवधि में एम. पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर रिज्यु राशि 35,000/- (रूपये पैंतीस हजार)केवल (वापसी योग्य नहीं) सहित ऑनलाईन रिज्यु दर्ज किया जा सकता है।

12. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।
"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 29.12.2018

पृ. क्रमांक 3364/1215/आउशि/सम्बद्धता/18.
प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म0प्र0)।
- 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
- 5- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी (अग्रणी) (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।

—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 29.12.2018

क्रमांक 3321/1010/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 31/10/2018 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 06/11/2018 निर्धारित की गई थी, उक्त तिथियों के अन्तर्गत प्रस्तुत "ऑनलाईन" आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ प्राप्त किये गये।

4. विधि पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया का ही होगा। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

क्रमांक	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर	निरंक
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	आदित्य एजुकेशन सोसायटी	निरंक
3	विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय का नाम	आदित्य कॉलेज ग्वालियर	निरंक
4	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.ए. प्रथम वर्ष (अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र) अति विषय:- समाजशास्त्र	निरंक
5	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक

6	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	बी.ए. प्रथम वर्ष (अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र) अति विषय:- समाजशास्त्र	एक वर्ष के भीतर प्राचार्य सहित 1+7 शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति कालेज कोड 28 में करने की शर्त पर
7	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	निरंक	निरंक

8. शासन द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/01/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की गई है, अतः सम्बद्धता हेतु समयसीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय।
9. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।
10. अपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।
11. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के समक्ष ऑनलाईन रिव्यु प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/01/2019 से 15/01/2019 निर्धारित है, इस अवधि में एम. पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर रिव्यु राशि 35,000/- (रुपये पैंतीस हजार)केवल (वापसी योग्य नहीं) सहित ऑनलाईन रिव्यु दर्ज किया जा सकता है।
12. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।
"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 29.12.2018

पृ. क्रमांक 3322/1010/आउशि/सम्बद्धता/18.
प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 - 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म0प्र0)।
 - 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
 - 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
 - 5- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर (म0प्र0)।
 - 6- कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)।
 - 7- प्राचार्य, शासकीय आदर्श विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (अग्रणी) (म0प्र0)।
 - 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
 - 9- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 29.12.2018

क्रमांक 3319/1009/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 31/10/2018 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 08/11/2018 निर्धारित की गई थी, उक्त तिथियों के अन्तर्गत प्रस्तुत "ऑनलाईन" आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ प्राप्त किये गये।

4. विधि पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया का ही होगा। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।


6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

क्रमांक	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर	निरंक
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	पुरुषोत्तम शिक्षा एवं जन कल्याण समिति	निरंक
3	विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय का नाम	गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर	निरंक
4	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.ए. द्वितीय वर्ष	निरंक
5	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक

6	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	बी.ए. द्वितीय वर्ष	एक वर्ष के भीतर प्राचार्य सहित 1+7 का शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति कालेज कोड 28 में करने की शर्त पर
7	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	निरंक	निरंक


8. शासन द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/01/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की गई है, अतः सम्बद्धता हेतु समयसीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय।
9. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।
10. अपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।
11. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के समक्ष ऑनलाईन रिब्यु प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/01/2019 से 15/01/2019 निर्धारित है, इस अवधि में एम. पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर रिब्यु राशि 35,000/- (रुपये पैंतीस हजार)केवल (वापसी योग्य नहीं) सहित ऑनलाईन रिब्यु दर्ज किया जा सकता है।
12. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।
"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


29/12/18

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 29.12.2018

3320
पृ. क्रमांक /1009/आउशि/सम्बद्धता/18.
प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म0प्र0)।
 - 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
 - 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
 - 5- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर (म0प्र0)।
 - 6- कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)।
 - 7- प्राचार्य, शासकीय आदर्श विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (अग्रणी) (म0प्र0)।
 - 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
 - 9- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वेबसाइट" पर अपलोड कराने हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29.12.2018

क्रमांक 3315/1045/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 31/10/2018 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 06/11/2018 निर्धारित की गई थी, उक्त तिथियों के अन्तर्गत प्रस्तुत "ऑनलाईन" आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ प्राप्त किये गये।

4. विधि पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया का ही होगा। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

क्रमांक	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर	निरंक
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	औरम एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी	निरंक
3	नवीन अशासकीय महाविद्यालय का नाम	आर.ए.बी.महाविद्यालय अकबरपुर ग्वालियर	निरंक
4	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.एससी (वनस्पति, रसायनशास्त्र, कम्प्यूटर) अति.विषय:- गणित, भौतिकशास्त्र, प्राणिशास्त्र बी.ए. (प्राचीन इतिहास, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र) अति.विषय समाजशास्त्र बी.कॉम कम्प्यूटर बी.वोक (इलेक्ट्रिकल टैक्नॉलाजी)	निरंक

5	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक
6	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.ए. (प्राचीन इतिहास, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र) अति.विषय समाजशास्त्र बी.कॉम कम्प्यूटर बी.वोक (इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलाजी)	एक वर्ष के भीतर प्राचार्य सहित 1+7 शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति कालेज कोड 28 में करने की शर्त पर एवं सुसज्जित प्रयोगशाला (विषयवार) एक वर्ष में स्थापित किये जाने की शर्त पर
7	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.एससी (वनस्पति, रसायनशास्त्र, कम्प्यूटर) अति.विषय:- गणित, भौतिकशास्त्र, प्राणिशास्त्र	पर्याप्त अधोसंरचना के अभाव के कारण


8. शासन द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/01/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की गई है, अतः सम्बद्धता हेतु समयसीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय।

9. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

10. अपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

11. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के समक्ष ऑनलाईन रिव्यु प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/01/2019 से 15/01/2019 निर्धारित है, इस अवधि में एम. पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर रिव्यु राशि 35,000/- (रुपये पैंतीस हजार)केवल (वापसी योग्य नहीं) सहित ऑनलाईन रिव्यु दर्ज किया जा सकता है।

12. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।
"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"



(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 29.12.2018

पृ. क्रमांक 3316 /1045/आउशि/सम्बद्धता/18.
प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म0प्र0)।
- 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
- 5- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, शासकीय आदर्श विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (अग्रणी) (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वेबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।

—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29.12.2018

क्रमांक 3245/1011/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 31/10/2018 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 06/11/2018 निर्धारित की गई थी, उक्त तिथियों के अन्तर्गत प्रस्तुत "ऑनलाईन" आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ प्राप्त किये गये।

4. विधि पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया का ही होगा। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।


5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

क्रमांक	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर	निरंक
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	दीनदयाल कृषि एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान ग्वालियर	निरंक
3	विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय का नाम	इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ग्वालियर	निरंक
4	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.कॉम द्वितीय वर्ष अति.विषय: कम्प्यूटर	निरंक
5	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.कॉम द्वितीय वर्ष अति.विषय: कम्प्यूटर	निरंक
6	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक
7	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक

8. शासन द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/01/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की गई है, अतः सम्बद्धता हेतु समयसीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय।
9. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।
10. अपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।
11. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के समक्ष ऑनलाईन रिव्यु प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/01/2019 से 15/01/2019 निर्धारित है, इस अवधि में एम. पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर रिव्यु राशि 35,000/- (रूपये पैंतीस हजार)केवल (वापसी योग्य नहीं) सहित ऑनलाईन रिव्यु दर्ज किया जा सकता है।
12. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।
"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"



 (डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
 भोपाल, दिनांक 29.12.2018

पृ. क्रमांक 3246/1011/आउशि/सम्बद्धता/18.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म0प्र0)।
- 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल ।
- 5- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, शासकीय आदर्श विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (अग्रणी) (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।
 ---की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 29.12.2018

क्रमांक 3361 /1046/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 31/10/2018 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 06/11/2018 निर्धारित की गई थी, उक्त तिथियों के अन्तर्गत प्रस्तुत "ऑनलाईन" आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ प्राप्त किये गये।

4. विधि पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया का ही होगा। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

क्रमांक	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर	निरंक
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	कामरान शिक्षा प्रसार समिति	निरंक
3	नवीन अशासकीय महाविद्यालय का नाम	एन.वाय. कालेज ऑफ एजुकेशन भितरवार जिला ग्वालियर	निरंक
4	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.ए प्रथम वर्ष (अर्थशास्त्र, हिन्दी, इतिहास) बी.कॉम प्रथम वर्ष प्लेन अति.विषय: कम्प्यूटर बी.एससी प्रथम वर्ष (वनस्पति, रसायनशास्त्र, कम्प्यूटर अति.विषय: गणित, भौतिकशास्त्र, प्राणिशास्त्र बी.वोक (अकाउन्टेंसी एण्ड आडिटिंग) आई टी एप्लीकेशन)	निरंक

5	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा / विषय	बी.ए प्रथम वर्ष (अर्थशास्त्र, हिन्दी, इतिहास) बी.कॉम प्रथम वर्ष प्लेन अति.विषय: कम्प्यूटर बी.वोक (अकाउन्टेंसी एण्ड आडिटिंग) आई टी एप्लीकेशन)	निरंक
6	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम / कक्षा / विषय	निरंक	निरंक
7	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा / विषय	बी.एससी प्रथम वर्ष (वनस्पति, रसायनशास्त्र, कम्प्यूटर अति.विषय: गणित, भौतिकशास्त्र, प्राणिशास्त्र	सी.डी. में कोई भी प्रयोगशाला अन्दर से नहीं दिखाई गई है जिसमें अधोसंरचना की जानकारी नहीं मिल पा रही है।

8. शासन द्वारा संबंधित क्स्विद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/01/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की गई है, अतः सम्बद्धता हेतु समयसीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय।


9. क्स्विद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

10. अपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित क्स्विद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

11. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के समक्ष ऑनलाईन रिव्यु प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/01/2019 से 15/01/2019 निर्धारित है, इस अवधि में एम. पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर रिव्यु राशि 35,000/- (रुपये पैंतीस हजार)केवल (वापसी योग्य नहीं) सहित ऑनलाईन रिव्यु दर्ज किया जा सकता है।

12. अज्ञासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"



(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29.12.2018

पृ. क्रमांक 3362 / 1046 / आउशि / सम्बद्धता / 18.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म0प्र0)।
- 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- क्स्वि कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
- 5- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, शासकीय आदर्श विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (अग्रणी) (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।

—की ओर सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 29.12.2018

क्रमांक 3373/1007/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 31/10/2018 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 06/11/2018 निर्धारित की गई थी, उक्त तिथियों के अन्तर्गत प्रस्तुत "ऑनलाईन" आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ प्राप्त किये गये।

4. विधि पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया का ही होगा। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

क्रमांक	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर	निरंक
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	प्रयास शिक्षा प्रचार प्रसार एवं समाज कल्याण समिति	निरंक
3	विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय का नाम	जे.बी. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट ग्वालियर	निरंक
4	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.ए प्रथम वर्ष (इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र)	निरंक
5	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक
6	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक

7	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	बी.ए प्रथम वर्ष (इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र)	निर्धारित समय सीमा तक कमी पूर्ति नहीं पूर्ण करने के कारण आवेदन अमान्य किया गया।
---	---	---	--

8. शासन द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/01/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की गई है, अतः सम्बद्धता हेतु समयसीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय।

9. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

10. अपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

11. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के समक्ष ऑनलाईन रिज्यु प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/01/2019 से 15/01/2019 निर्धारित है, इस अवधि में एम. पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर रिज्यु राशि 35,000/- (रुपये पैंतीस हजार)केवल (वापसी योग्य नहीं) सहित ऑनलाईन रिज्यु दर्ज किया जा सकता है।

12. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथास्त रहेंगे।
"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29.12.2018

पृ. क्रमांक 3374 /1007/आउशि/सम्बद्धता/18.
प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म0प्र0)।
 - 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
 - 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
 - 5- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर (म0प्र0)।
 - 6- कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)।
 - 7- प्राचार्य, शासकीय आदर्श विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (अग्रणी) (म0प्र0)।
 - 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
 - 9- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वेबसाइट" पर अपलोड कराने हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29.12.2018

क्रमांक 3379/1181/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर, "आन-लाईन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 31/10/2018 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 06/11/2018 निर्धारित की गई थी, उक्त तिथियों के अन्तर्गत प्रस्तुत "ऑनलाईन" आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ प्राप्त किये गये।

4. विधि पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया का ही होगा। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

क्रमांक	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर	निरंक
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	जन कल्याण स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रसार समिति भिण्ड	निरंक
3	विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय का नाम	ओम शिव कॉलेज श्योपुर	निरंक
4	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.वोक प्रथम वर्ष (हर्बल प्लान्ट साइंस अति.विषय:- आर्गेनिक फार्मिंग	निरंक
5	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक
6	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक

7	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	बी.वोक प्रथम वर्ष (हर्बल प्लान्ट साइंस अति.विषय:- आर्गेनिक फार्मिंग	निर्धारित समय सीमा तक कमी पूर्ति नहीं पूर्ण करने के कारण आवेदन अमान्य किया गया ।
---	---	---	---

8. शासन द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/01/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की गई है, अतः सम्बद्धता हेतु समयसीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय।

9. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

10. अपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

11. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के समक्ष ऑनलाईन रिव्यु प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/01/2019 से 15/01/2019 निर्धारित है, इस अवधि में एम. पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर रिव्यु राशि 35,000/- (रुपये पैंतीस हजार)केवल (वापसी योग्य नहीं) सहित ऑनलाईन रिव्यु दर्ज किया जा सकता है।

12. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।
"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29.12.2018

पृ. क्रमांक 3380 /1181/आउशि/सम्बद्धता/18.
प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 - 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म0प्र0)।
 - 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
 - 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
 - 5- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर (म0प्र0)।
 - 6- कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)।
 - 7- प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्योपुर (अग्रणी) (म0प्र0)।
 - 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
 - 9- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वेबसाइट" पर अपलोड कराने हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश